संख्या-193/2016/1131/22-2-2016-17(282)/2016

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,

विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 07 अक्टूबर,2016***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मुबारक पुत्र श्री इब्राहिम, निवासी जनपद-सीतापुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-21431/पर-3(एम-22-06-2016) दिनांक-20-07-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मुबारक पुत्र श्री इब्राहिम, निवासी बसुदहा, थाना सदरपुर, जनपद-सीतापुर का रहने वाला है। पूर्व में हुयी हत्या के केस में अभियोगी जाहिद खान की जमानत हो जाने से नाराज होकर बन्दी ने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 18-11-1977 को जाहिद खान को बन्दूक से गोली मार दी तथा बांके से सर काटकर कटे हुए सर को नदी में बहाने के लिए अपने साथा लेकर भाग गये। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-334,335/1979 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302,148,201 के अन्तर्गत मा0 चतुर्थ अपर जिला एव सत्र न्यायाधीश, सीतापुर द्वारा दिनांक 17-05-1980 को आजीवन कारावास के दण्ड से डण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 08-01-2016 तक 15 वर्ष 09 माह 20 दिन की अपरिहार तथा 21 वर्ष 00 माह 26 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण सन्तोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने बन्दी पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं हुआ है तथा जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने आदि के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा जिला प्रोबेशन अधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक की आख्या से सहमति तथा बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड द्वारा बन्दी ने 05 सहअभियुक्तों के साथ जाहिद खान की बन्दूक से गोली मारकर तथा बांके से सर काटकर नृशंस हत्या करने एवं कटे हुए सिर को नदी में बहाने के लिये अपने साथ ले जाने का जघन्य अपराध कारित किया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ ही पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं है। इसकी पुष्टि पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा 05 बिन्दु की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी मुबारक पुत्र श्री इब्राहिम, निवासी जनपद-सीतापुर को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी मुबारक (बन्दी संख्या-35459) पुत्र श्री इब्राहिम, निवासी जनपद-सीतापुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)

विशेष सचिव।

संख्या-193/2016/1131(1)/22-2-2016 तद्वदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-193/2016/1131/22-2-2016-17(282)/2016

दिनांक 07 अक्टूबर, 2016 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मुबारक (बन्दी संख्या-35459) पुत्र श्री इब्राहिम, निवासी ग्राम-बसुदहा, थाना-सदरपुर, जनपद-सीतापुर का रहने वाला है। पूर्व में हुयी हत्या के केस में अभियोगी जाहिद खान की जमानत हो जाने से नाराज होकर बन्दी ने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 18-11-1977 को जाहिद खान को बन्दूक से गोली मार दी तथा बांके से सर काटकर कटे हुए सर को नदी में बहाने के लिए अपने साथा लेकर भाग गये। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-334,335/1979 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302,148,201 के अन्तर्गत मा0 चतुर्थ अपर जिला एव सत्र न्यायाधीश, सीतापुर द्वारा दिनांक 17-05-1980 को आजीवन कारावास के दण्ड से डण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 08-01-2016 तक 15 वर्ष 09 माह 20 दिन की अपरिहार तथा 21 वर्ष 00 माह 26 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण सन्तोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने बन्दी पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं हुआ है तथा जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने आदि के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ सीतापुर द्वारा बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड द्वारा बन्दी ने 05 सहअभियुक्तों के साथ जाहिद खान की बन्दूक से गोली मारकर तथा बांके से सर काटकर नृशंस हत्या करने एवं कटे हुए सिर को नदी में बहाने के लिये अपने साथ ले जाने का जघन्य अपराध कारित किया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ ही पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं है। इसकी पुष्टि पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा 05 बिन्दु की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी मुबारक पुत्र श्री इब्राहिम, निवासी जनपद-सीतापुर को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।